न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —54/2002 (अपील)

GCMS No.- 2002/00002

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद

—अपीलाण्ट.

बनाम

भंवरलाल पुत्र किशना, जाति माली (मृतक) जरिये कायम मुकामान—

1. पुष्पा बाई पुत्री स्व0 भंवरलाल माली
2. ललता बाई पुत्री स्व0 भंवरलाल माली
3. द्वारकाबाई पुत्री स्व0 भंवरलाल माली
4. **रामनाथी बाई पुत्री स0 भंवरलाल माली (मृतक) जरिये कायम मुकामान—**
   - 4/1उदाराम पुत्र कृष्ण गोपाल माली
   - 4/2 मोहनी बाई पुत्री कृष्णगोपाल माली
   - 4/3 ओमप्रकाश पुत्र कृण गोपाल माली निवासी चौकी बोरडा तह0 बांरा जिला बांरा
5. जानकी बाई पुत्री स्व0 भंवरलाल माली
6. **घनश्याम पुत्र भंवरलाल (मृतक) जर्ये कायम मुकामान—**
   - **6/1 कलावती बाई पुत्री घनश्याम जाति माली**
   - 6/1/1नीरज पुत्र कलावती
   - 6/1/2किरण पुत्री कलावती
   - 6/1/3 लालचन्द पति कलावती निवासी अमलावदा जिला बारां
   - 6/2 चमेली बाई पत्नि घनश्याम माली
   - 6/3 मुरलीधर पुत्र घनश्याम माली
   - 6/4 कन्हैयालाल पुत्र घनश्याम माली
   - 6/5 कमल कुमार पुत्र घनश्याम माली
   - 6/6 फूलवन्ती पुत्री घनश्याम माली निवासीगण गुरायता, तहसील सांगोद जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 23 न्यू सीलिंग एक्ट 1973
अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 23.04.2002 न्यायालय
उप जिला कलेक्टर रामगंजमण्डी

उपस्थितः—

1. पेरोकार सरकार
2. श्री तेजमल जैन अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक—05.03.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गुरायता तहसील सांगोद मृतक भंवरलाल की भूमि सिंचित भूमि होने से वह मात्र 27 एकड भूमि को धारण करने का हकदार है जबकि मृतक भंवरलाल के खाते की भूमि का कुल रकबा 48.40 एकड बनता है । इस प्रकार 21.40 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक खातेदार के पास थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की कोई भूमि सीलिंग प्रावधानों के तहत अधिग्रहण योग्ये न मानकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगंजमण्डी द्वारा निर्णय दिनांक 23.4.2002 पारित कर रेस्पो0 की भूमि सीलिंग सीमा से कम मानते हुए अप्रार्थी सीलिंग कार्यवाही समाप्त की गई है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश की प्रति लेकर पत्रावली जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय में भिजवाया गया तथा राजकीय अभिभाषक से उक्त सम्बन्ध में अपील पेश करने हेतु राय प्राप्त की गई जिनके द्वारा दिनांक 30.5.2002 को उक्त निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने की अनुमति दी यह अपील तहसीलदार सांगोद द्वारा जरिये राजकीय अभिभाषक इस न्यायालय में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के साथ दिनांक 21.06.2002 को पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई । रेस्पोडेन्टगण की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन का वकालतनामा पेश हुआ । पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. अपीलांट पेरोकार सरकार द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है किमृतक भंवरलाल की भूमि सिंचित भूमि होने से वह मात्र 27 एकड भूमि को धारण करने का हकदार है, जब कि मृतक भंवरलाल के खाते की भूमि का कुल रकबा 48.40 एकड बनता है इस प्रकार 21.40 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक खातेदार के पास थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की कोई भूमि सीलिंग प्रावधानों के तहत अधिग्रहरण योग्य न मानकर निर्णय जेर अपील पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है ।यहां पर यह भी आलेखित करना उचित होगा कि 48.40 एकड भूमि में से खातेदार जब 27 एकड भूमि रखने का हकदार है तो इसको कम करने पर खातेदार की 21.40 एकड भूमि अधिक बनती है जबकि अधीनस्थ न्याालय ने अपने निर्णय में उक्त 27 एकड भूमि को कम करने पर 21.40 एकड के बजाय 11.40 एकड भूमि का ही हवाला दिया है जो अपने आपमें रिकार्ड से बिलकुल विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की भूमि फिक्सेसन ऑफ सीलिंग ऑन लेण्ड होल्डिंग चेप्टर द्वितीय के सेक्शन 4(ए) से 4(सी) में न मानकर समस्त भूमि को सेक्शन 4(डी) में आना मानकर निर्णय जेर अपील पारित किया है जबकि एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट 1973 के प्रावधानों को अधीनस्थ न्यायालय ने समझने में भारी कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गोर नहीं किया कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी कि जिससे यह प्रमाणित हो कि मूल खातेदार एसेसी भंवरलाल के खाते की उक्त समस्त भूमियां सिंचित न हो, या कुल भूमि नहर में चली गई हो, या मंदिर को दान दे दी गई हो, इस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य भी खातेदार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुये जबकि खातेदार की समस्त आराजीयात हरिशचन्द सागर परियोजना से सिंचित होती थी तथा इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा बखूबी साबित कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को सिंचित होना नहीं मानकर पाट एवं ट्यूबवेल से सिंचित होना करार देते हुए निर्णय जेर अपील पारित कर दिया गया है जो कि हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार भंवरलाल की व उसके परिवार की समस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसील सांगोद से कोई रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई है तथा उसके अभाव में ही निर्णय पारित कर दिया गया है । मृतक भंवरलाल की खाते की आराजीयात सिंचित होने के कारण वह केवल मात्र अपने परिवार के लिये 27 एकड भूमि ही रखने का अधिकारी था तााि उसकी बाकी समस्त आराजीयात काबिल अधिग्रहरण योग्य थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी आधार के रेस्पो0 के विरूद्व विचाराधीन सीलिंग कार्यवाही को अपने निर्णय जेर अपील को पारित कर ड्रोप कर उसकी खाते की कोई भूमि सीलिंग सेप्रभावित होना नहीं मानकर आदेश पारित कर दिया गया है जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.4.2002 को निरस्त फरमायाजावें तथा खातेदार की 27 एकड भूमि के अलावा शेष भूमि को अधिग्रहरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा अपील में जो तथ्य उठाये गये है वह रेकार्डेड नहीं है, रेस्पोडेन्ट की भूमि सिंचित भूमि नहीं थी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पास कुल 121 बीघा 2 बिस्वा समस्त खातों से प्राप्त होती है तथा तहसीलदार के अनुसार अप्रार्थी की सिंचित भूमि होने के कारण 27 एकड भूमि काहकदार है जबकि कुल रकबा 48.40 एकड बनते है । तथा 21.40 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना जाहिर किया है जो नहर से सिंचित के हिसाब से बताया गया है जबकि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि नहर से सिंचित नहीं होकर कुंआ, ट्यूबवेल से होती है, तहसीलदार द्वार

जिला कलेक्टर
कोटा

कालीसिंध नदी पर निर्मित हरिश्चन्द्र सागर बांध का जिक्र किया है वस्तुतः यह बांध प्रभाव में ही नहीं आया क्योंकि वह बनते ही टूट गया था इससे कभी भी सिंचाई नहीं होना अधीनस्थ न्यायालय भी माना है । अर्थात रेस्पोडेन्ट की भूमियां नहर सिंचित नहीं कुंआ,ट्यूबवेल आदि से सिंचित होने से उसी अनुरूप गणना की गई है, भूमि की किस्म भी नहर नहीं होकर बारानी दोयम एवं माल दर्ज है जिनकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी से होती है, इसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय जो निर्णय पारित किया गया है वह उचित एवं न्यायसंगत है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं की है । अपील आधारहीन एवं कयासों के आधार पर प्रस्तुत की गई है जो निरस्त फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.4.2002 पारित कर रेस्पो0 की भूमि सीलिंग सीमा से कम मानते हुए अप्रार्थी सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाने पर राजकीय अभिभाषक से राय लेकर जिला कलक्टर कोटा से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त होने पर तहसीलदार सांगोद द्वारा जरिये राजकीय अभिभाषक के लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के साथ दिनांक 21.6.2002 को प्रस्तुत की है । अपील प्रस्तुत करने में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रकिया में लगे समय को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है । प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट का मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रेस्पो0 की भूमि की सीलिंग सीमा का निर्धारण किया है वह सिंचित नहीं मानते हुए सीलिंग सीमा तय की गई है जबकि तहसीलदार सांगोद अपीलांट के अनुसार तत्समय उक्त भूमियां हरिश्चन्द्र बांध से सिंचाई परियोजना से सिंचित होना तथा कमाण्ड क्षैत्र की होने से रेस्पो0 27 एकड भूमि रखने का अधिकारी बताया है तथा कुल 48.40 एकड भूमि में से शेष भूमि अधिग्रहरण योग्य बताई गई है । अपीलांट का मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा असेसी की भूमि सिंचित अथवा असिंचित होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लिये है ओर ना ही भूमियों के सम्बन्ध में तहसील से कोई रिपोर्ट ली गई है । ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड रामगंजमण्डी का आदेश दिनांक 23.04.2002 निरस्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि बिन्दु संख्या 5 में किये गये विवेचन अनुसार उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए तत्समय भूमि की सिंचित /असिंचित की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए रेस्पोडेन्ट की भूमि की सीलिंग सीमा तय की जाकर नवीन आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी सांगोद को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा